स मा ह र णा ल य, कि श न गं ज

(जिला राजस्व प्रशाखा)

पत्रांक / जि0रा0, किशनगंज दिनांक

प्रेषक :–

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार पटना।

विषय :: *मटियारी घाट सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित आम सूचना प्रकाशन के संबंध में।*

महाशय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित आम सूचना की छः प्रतियाँ सी0डी0 सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि संलग्न आम सूचना का प्रकाशन दो सम्मानित हिन्दी एवं उर्दू दैनिक समाचार पत्रों (कोशी संस्करण) में एकान्तर तिथियों में करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :: 1. सी0डी0–एक अदद।
2. आम सूचना की प्रति –छः अदद।

विश्वासभाजन

Sd/-

जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
किशनगंज।

ज्ञापांक 363 /जि0रा0, दिनांक 12/3/13

प्रतिलिपि :: उप विकास आयुक्त,किशनगंज / अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, किशनगंज/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, किशनगंज को अनुलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं सूचना पट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/पणन सचिव, कृषि उत्पादन बाजार समि[ति], किशनगंज जिला को अनुलग्नक की प्रति के साथ वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अल्पकालीन निविदा सू[चना] की प्रति एवं सी0डी0 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने हेतु एक [illegible] प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जा[ता है] कि जनसर्म्पक निदेशालय से संपर्क स्थापित कर दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में सैरात बन्दोबस्ती से संबंधित आम सूचना प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकाशित सूचना [illegible] जिला राजस्व प्रशाखा, किशनगंज में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :: आयुक्त के सचिव, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :: जिला प्रबंधक (आई0टी0), किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी एवं समा[हर्त्ता],
किशनगंज।

D:\M.KUMAR\SARAT 2012-13

कार्यालय, अनुमण्डल राजस्व प्रशाखा, किशनगंज।

–:: आम सूचना ::–

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि किशनगंज अनुमण्डल अन्तर्गत पड़ने वाले निम्नलिखित अनुमंडल स्तरीय सैरातों की बन्दोवस्ती वर्ष 2013–14 के लिए दिनांक 14.03.2013 को 3:30 बजे अपराह्न में खुली डाक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ट में की जायेगी। प्रथम निर्धारित तिथि को बन्दोवस्ती नहीं होने की स्थिति में पुनः दिनांक 26.03.2013 एवं आवश्यकता पड़ने पर अगले कार्य दिवस को खुली डाक द्वारा बन्दोवस्ती की कार्रवाई की जाएगी।

सैरात का नाम	अंचल का नाम	सुरक्षित जमा राशि	वर्ष 2012–13 में बंदोवस्ती की राशि	डाक की निर्धारित तिथि		
				प्रथम	द्वितीय	तृतीय
भटियारी घाट	टेढ़ागाछ	5635.00	4,25,000.00	26.03.13 ~~14.03.2013~~	30.03.13 ~~26.03.2013~~	अगले कार्य दिवस

डाक की निम्न शर्ते निम्न प्रकार है :–

1. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को सुरक्षित जमा राशि का 25 प्रतिशत राशि डाक में भाग लेने के पूर्व प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
2. थानाध्यक्ष द्वारा जारी आचरण प्रमाण–पत्र (अद्यतन) डाक के पूर्व कार्यालय में जमा करना होगा, अन्यथा डाक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
3. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को जिला/अनुमण्डल/अंचल/नगर परिषद से बकाया रहित प्रमाण–पत्र एवं अंचल अधिकारी से आय प्रमाण– पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
4. किसी भी सैरात /घाट लेसी या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा। साथ ही उनके निकट भाई, भतीजा,बेटा को भी डाक में भाग नहीं लेने दिया जायगा.
5. सैरात की वसूली पूर्व निर्धारित दर पर ही करनी होगी तथा प्रत्येक वसूली स्वयं द्वारा छपाई गई बही रसीद उन्हें निर्गत करनी होगी जिसका व्यय वे स्वयं वहन करेंगे।
6. बाढ़ सुखा एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं पर बन्दोवस्ती की राशि में किसी प्रकार का छूट अनुमान्य नही होगा।
7. किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा सैरात में अस्थाई/स्थाई कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नही होने दिया जायगा। इसकी जवाबदेही ठेकेदार/बन्दोवस्तदार की होगी।
8. घाट लेसी को 24 घण्टे दो बड़ी नावों को घाटों पर लगानी होगी तथा निर्धारित शुल्क से अधिक की वसूली नही करनी होगी।
9. घाट लसी को डाक में भाग लेने के समय उनके पास उपलब्ध नाव की क्षमता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अंचल अधिकारी से प्राप्त कर देनी होगी।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए बन्दोवस्ती अस्वीकृत (रद्द) करने अथवा घाट की निलामी को निरस्त करने अथवा विभागीय प्रबंध करने का पूर्ण अधिकार होगा।
11. पूर्व ठेकेदार/ बन्दोवस्तदार को डाक के पूर्व कार्यालय में पूर्व में आम व्यक्तियों के साथ उनका आचारण / कायाकल्प सम्बन्धी प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष से प्राप्त कर जमा करना होगा।
12. डाक समाप्ति के पश्चात् सफल डाक वक्ता को नियमानुसार उच्चतम डाक की राशि एवं मुद्रांक शुल्क/निबंधन शुल्क डाक समाप्ति के तुरंत बाद जमा करना होगा, अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी।

अनुमंडल पदाधिकारी,
किशनगंज।